तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
03/10/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट कक्ष में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से पत्रावली पर बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 118/2023

प्रार्थीगण :–

1. सरादेवी पत्नी हिमताराम जाति पुरोहित निवासी सालू की ढाणी, सिंधासवा हरनियान, हाल निवासी तातडा
2. सोहनलाल पुत्र नेमीचन्द जाति ओसवाल निवासी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रामचन्द्र पुत्र किस्तुरा
2. धनी पुत्री वीरमा
3. प्यारी पुत्री वीरमा
4. वरजू पुत्री वीरमा जाति वणाक निवासी सालू की ढाणी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. हुकमा पुत्र भला जाति विश्नोई निवासी सालू की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. सोहनी पत्नी बाबुलाल
7. सुरती पत्नी भीयाराम जाति विश्नोई निवासी सालू की ढाणी, सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण –एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 03.10.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सालू की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 596/1 रकबा 1.5783 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सारू की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 596/1 रकबा 1.5783 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के मेखम स्थापित करावें। पक्के मेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3/10/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी